सरकार बनी तो बुलडोजर पर लगा देंगे ताला, मुठभेड़ों की होगी जांच : चंद्रशेखर

आजाद समाज पार्टी ने बिजनौर मुख्यालय से आरंभ की सत्ता परिवर्तन यात्रा

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बृहस्पतिवार को मुख्यालय से सत्ता परिवर्तन रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रैली यूपी के बदलाव की यात्रा साबित होगी। कहा कि उनकी सरकार आते ही बुलडोजर पर ताला लगाया जाएगा। फर्जी एनकाउंटरों की जांच कराई जाएगी।

इससे पहले इंदिरा बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2027 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगी। कहा कि मेरी सरकार में नगीना को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी की तर्ज पर पूरे प्रदेश का विकास होगा। दावा किया कि वह नगीना के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लोकसभा की पांचों विधानसभाओं का विकास हो रहा है। कहा कि जनता ने जाति-धर्म के लिए सत्ता नहीं सौंपी थी। डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। इससे जनता और युवा परेशान हैं।

उन्होंने जनता से आठ माह मांगे। कहा कि सभी को न्यूनतम वेतन देने के लिए नियम लागू किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, टोल फ्री किया जाएगा। उन्होंने 32 मांगे गिनाईं। रैली की अनुमति के लिए प्रशासन को प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन रात में 1:30 बजे तक अनुमति जारी नहीं हुई। यदि उन्हें अनुमति नहीं मिली है, तो यह संवैधानिक तरीके से अपमानित, गरीब, दलित, मजदूर लोगों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।

इससे पहले सत्ता परिवर्तन रैली इंदिरा बाल भवन से प्रारंभ होकर जजी, शास्त्री चौक से होते संत रविदास मंदिर पहुंची। वहां से आगे निकल गई। नुमाइश चौक पर बैरिकेड लगाकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। नुमाइश मैदान चौराहे से कलक्ट्रेट मार्ग तक वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। नगर पालिका की टीम ने आजाद समाज पार्टी द्वारा लगाए गए कई होर्डिंग और बोर्ड हटा दिए।

सत्ता परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित करते सांसद चंद्रशेखर। फोटो : कार्यकर्ता

सांसद को दो घंटे रखा हाउस अरेस्ट

धामपुर। पुलिस ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को रैली में जाने से रोकने के लिए धामपुर जैतरा में स्थित उनके आवास में दो घंटे हाउस अरेस्ट रखा। इस दौरान सांसद की पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक हुई। एएसपी पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ उनके आवास पर डेरा डाले रहे।

नगीना में पुलिस ने आसपा के नगरध्यक्ष असलम सिद्दीकी के अलावा पार्टी नेता रोशन परवेज पाशी को पूरे दिन उनके वैष्णव विहार कॉलोनी स्थित घर में नजरबंद रखा। किरतपुर में भी आसपा नेता मुदस्सिर जमा खां और साहिल मेहरा को पुलिस ने उनके आवास पर ही रोक दिया। **नजीबाबाद** में पुलिस ने नगर पालिका परिषद के नजीबाबाद चेयरमैन और साहनपुर चेयरमैन के आवास पर नजर बंद कर दिया। आसपा के मंडल प्रभारी एवं साहनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी चकमा देकर बिजनौर रैली को निकल गए। संवाद

विकास कार्यों में कोई शिथिलता स्वीकार नहीं : कपिल देव अग्रवाल

बिजनौर। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा जिले में संचालित विकास परियोजनाओं, निर्माण कार्यों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक

बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनपद में संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। जनपद में संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर जनता को उनका लाभ उपलब्ध कराया जाए। अधिकारी भ्रमण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करें।

बैठक में मंत्री द्वारा सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, कृषि, नगर विकास, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर विधायक नहटौर ओम कुमार, जिलाध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, महिला आयोग सदस्या संगीता जैन, डीएम जसजीत कौर, एसपी अभिषेक झा, सीडीओ रणविजय सिंह आदि उपस्थित रहे। संवाद

EDUCATION HUB

BHAGWANT GLOBAL UNIVERSITY
Established by Govt. of Uttarakhand vide Act No.39 of 2016 & recognized by UGC U/s 2(F)
ADMISSIONS OPEN 2026-27
Courses Offered
GNM I B.Sc. Nursing
BMLT I M.Sc. MLT
BPT
BMRIT
D.Pharm I B.Pharm
M.Pharm (All Stream)
DNYS I BNYS*
LL.B | BA.LL.B
B.Tech (CSE I AI & ML)
BBA I MBA
MBA (Integrated)
BCA I MCA
B.A. I B.Sc. I B.Com (Hons)
B.Sc. (Hons) Agriculture
B.Sc. I M.Sc. (Biotech/Microbiology)
8859901136, 9520871880
Campus :- Uttari Jhandichaur, Kotdwar
Distt. - Pauri Garhwal, Uttarakhand

SHRI SWAMI BHUMANAND COLLEGE OF NURSING & PARAMEDICAL INSTITUTE, HARIDWAR
Admission Open 2026-27
Affiliated by-UK Paramedical Council, Indian Nursing Council, H.N.B. UK Medical Education University, Dehradun
Nursing & Paramedical Course Offered
M.H.A (Master in Hospital Administration)
M.Sc. Nursing (2 Years Post Graduate)
P.B. B.Sc. Nursing (2 Years Degree Course)
BOTT (3.5 Years Degree Course)
B.Sc. Nursing (4 Years Degree Course)
B.M.R.I.T (3½ Years Degree Course)
B.Sc. M.L.T (3½ Years Degree Course)
M.Sc. MLT (2 Year PG Course)
G.N.M (3 Years Diploma Course)
A.N.M (2 Years Diploma Course)
Dip. in Optometry (2 Years Diploma Course)
B.Sc. Optometry (3.5 Years Degree Course)
Required Paramedical Faculties, Bsc. Optometry, M.sc. MLt and Operation Theater Technology
ADMISSION OPEN
Contact : 6399000532, 8477996595, 6396248868
Email: bhumanandparamedicalinstitute@gmail.com

रामनगर से कोटद्वार मार्ग खुलवाने को मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

कदराबाद। गांव भोगपुर के प्रधान मंगत कांबोज के नेतृत्व में गांव भोगपुर, मदपुरी व चंपतपुर चकला के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र डीएम को दिया।

मांग पत्र में कार्बेट एरिया उत्तराखंड रामनगर से कोटद्वार मार्ग को पुनः खुलवाने के लिए तथा मोरघाटी व पाखरो रेंज के गेट से आवागमन पुनः चालू करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग खुलने से रामनगर जाने लिए काशीपुर होकर नहीं जाना पड़ेगा व दूरी कम होने से उनका समय व धन भी बचेगा।

कोटद्वार के लिए धामपुर, नजीबाबाद न जाकर सीधे कोटद्वार जा सकेंगे। इसके अलावा भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद नगीना तहसील में बसे विस्थापित शरणार्थियों को कच्ची जमीन पर दिए जा रहे मालिकाना हक पर भी चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीण रवि कुमार, मुकेश कुमार, संजू , विपिन, छत्रपाल, रामपाल, सोनू, जाम्बू सिंह, रिंकू, नीरज, मंगलू, राजवीर, कृपाल, प्रेमचंद, जोगिंदर आदि मौजूद रहे।

मोरघाटी व पाखरो रेंज के गेट से आवागमन पुनः चालू करवाने की मांग की

कोटद्वार के लिए धामपुर, नजीबाबाद न जाकर सीधे कोटद्वार जा सकेंगे

B.I.T.
25+ वर्षों से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान... भगवन्त ग्रुप...''संकल्प से सफलता तक''...
ADMISSIONS OPEN
B.Tech (CSE, ME, ECE, CE)
B.Tech (CSE, AI & ML)
M.Tech (CSE, ME, ECE)
Polytechnic (ME, CE)
D.Pharm.
B.Pharm. / M.Pharm.
B.B.A. / M.B.A.
B.C.A. / M.C.A.
B.A.M.S.
D.P.T. / D.O.T.
A.N.M., G.N.M.
B.Sc. (Nursing)
Post Basic B.Sc. (Nursing)
B.Ed. / M.Ed.
D.El.Ed. (BTC) / B.P.Ed.
LLB / B.A.LLB
8859901114, 8859901120
17TH MILESTONE, BIJNOR-DELHI HIGHWAY
BHAGWANTPURAM, MUZAFFARNAGAR (U.P.)

मेडिकल प्रवेश सूचना
आई.आई.एच.टी.
(College of Nursing & Allied and Healthcare Science)
डिग्री पाठ्यक्रमों में फार्म भरने की अन्तिम तिथि 05 जून 2026
B.P.T.
B.OPTOMETRY
B.M.L.S
OBC / GEN / MIN / SC / ST के छात्र-छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा
Diploma in Anesthesia & Operation Theatre Technology
D.AOTT - समय – 2½ वर्ष (2 वर्ष + 6 माह इंटर्नशिप)
Note : Diploma in Optometry, DPT, D.Sanitation, D.Accupuncture Certificate in Baby Nursing
G.N.M. अवधि– 3 वर्ष 10+2 (अंग्रेजी विषय)
A.N.M. अवधि – 2 वर्ष 10+2 किसी भी विषय से सीधे प्रवेश
पता : देवबंद–मुजफ्फरनगर हाईवे, ग्राम निहाल खेड़ी, देवबंद
9012700032, 9012400032, 9012200032
website : iihtmedical.com, email : upsmfa226@gmail.com

KUNWAR SATYA VIRA DEGREE COLLEGE, BIJNOR
Affiliated to Guru Jambheshwar University, Moradabad (U.P.)
Admission Open 2026-27
Courses Offered:
BBA
B.Com.(Hons.)
B.Sc(Hons. PCM/ZBC)
B.Sc(Gen. PCM/ZBC)
B.A (All Subjects)
Basic Computer Courses
CCC, 'O' & 'A' Level, Python
MS Office, E- Commerce
Tally, Networking
Website Development
Android App Development
Digital Marketing
Excellent Academic Environment
NSS
Sports
Cultural
Quiz/Debate
Seminar/ Workshop
Training & Placement
Industrial Visits, etc.
For All round Development
OPPOSITE BSNL OFFICE, BAIRAJ ROAD BIJNOR CITY, BIJNOR
Admission Helpline : 01342-262277, 9411853446
www.ksdc.edu.in, Email : info@ksdc.edu.in, ksdcbijnor@gmail.com

संविधान के प्रमुख जानकार व लेखक थे सुभाष कश्यप

विवेक गुप्ता

कोतवाली देहात/बिजनौर। जनपद के चांदपुर में जन्मे सुभाष कश्यप का बृहस्पतिवार को दिल्ली में निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। उन्हें संविधान के प्रमुख जानकारों में जाना जाता था। सुभाष कश्यप ने भारतीय संविधान और संसदीय परंपराओं तथा लोकतंत्र की आत्मा को समझने और सुदृढ़ करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। डॉ. सुभाष कश्यप की सेवाओं और उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया।

सुभाष कश्यप का जन्म 10 मई 1929 को जनपद के चांदपुर में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पत्रकार, अधिवक्ता तथा शिक्षक के रूप में भी कार्य किया।

■ **लोकसभा के रहे महासचिव :** जनपद बिजनौर के इतिहास के जानकार राहुल नील बताते हैं कि 31 दिसंबर 1983 को सुभाष कश्यप लोकसभा के महासचिव बने। उन्होंने 1990 तक इस पद पर कार्य किया और 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया।

100 से ज्यादा पुस्तकों का किया लेखन

सुभाष कश्यप फाइल फोटो

डॉ. सुभाष कश्यप के 500 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए जो संविधान, संसद, लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और सत्ता की राजनीति जैसे विषयों पर केंद्रित रहे। उनकी लिखी पुस्तकों में भारत का संविधान एक अध्ययन, नागरिक और संविधान आदि प्रमुख हैं। वह वर्तमान में दिल्ली में रहते थे।

■ **स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे सुभाष कश्यप :** सुभाष कश्यप की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन से भी गहराई से जुड़ी थीं। राहुल नील बताते हैं कि डॉ. सुभाष कश्यप ने किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। छात्र जीवन में उन्होंने बिजनौर और मेरठ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया। यही राष्ट्रीय चेतना आगे चलकर उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं का आजीवन प्रहरी बना गई। संवाद

कालू टिकैत का आमरण अनशन शुरू

चांदपुर। राष्ट्रीय जनहित सुधार समिति अराजनैतिक के संरक्षक रविंद्र त्यागी उर्फ कालू टिकैत ने जनहित की मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को तहसील परिसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कालू टिकैत ने बताया कि जन समस्याओं के समाधान के लिए तहसील परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक सांकेतिक धरना दे रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने तहसील परिसर में तीन मंजिल पर स्थित उपनिबंधक कार्यालय को ग्राउंड फ्लोर पर स्थित खाली ट्रेजरी ऑफिस में स्थानांतरित करने, गंगा पुल नारौर के पास तटबंध बनवाने आदि की मांग की है। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701, ईमेल– cs8204@pnb.co.in

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 23.06.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	**शाखाः नजीबाबाद केडीआर** **ऋणी एवं बंधककर्ताः** श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र, **गारन्टरः** श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- चार बाग, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 117.09 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह), बही नं0 1, जिल्द नं0 7417, पेज नं0 223-246, क्र0सं0 15043, दिनांक 19.10.2015, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः शफीक अहमद की सम्पत्ति, पूर्वः फरीदा बेगम एवं नईम अहमद की सम्पत्ति, पश्चिमः साजिद अली की सम्पत्ति।	(ए) 07.03.2019 (बी) रू0 **23,42,059/-** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 31.12.2017 (सी) भौतिक	रू0 15,09,000/- रू0 1,50,900/- रू0 50,000/–	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः नजीबाबाद चौक, बिजनौर** **ऋणी फर्मः** मैसर्स एल्क एंटलर एक्सपोर्ट हाउस, **प्रोपराइटर एवं बंधककर्ताः** श्री मौहम्मद रोशन बिलाल पुत्र श्री मौहम्मद हासिम, **गारन्टरः 1.** श्रीमती सबिहा बिलाल पत्नी श्री मौहम्मद रोशन बिलाल, **2.** श्री मौहम्मद अहमद पुत्र श्री नूर अहमद एवं **गारन्टर एवं बंधककर्ताः** मैसर्स पीएसएस के पार्टनर्स के माध्यम से।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित ग्राम- दरियापुर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 501.86 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद रोशन बिलाल पुत्र श्री मौहम्मद हासिम एवं श्री इनामुल हक पुत्र श्री मौहम्मद हासिम, बही नं0 1, जिल्द नं0 5977, दस्तावेज नं0 2874, पेज नं0 383-416, दिनांक 06.03.2013 पर पंजीकृत हैं। सीमाएँ:-पूर्वः विक्रेता श्री मुबस्सिर आरिफ की भूमि, पश्चिमः महेन्द्र सिंह की भूमि, उत्तरः विक्रेता श्री मुबस्सिर आरिफ की भूमि, दक्षिणः 20 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 28.02.2023 (बी) रू0 **4,05,17,636.36** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.02.2023 (सी) भौतिक	रू0 67,62,000/- रू0 6,76,200/- रू0 1,00,000/-	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः नजीबाबाद केडीआर रोड** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भरत सिंह, स्थित ग्राम तातरपुर लालू, नजीबाबाद बिजनौर (उ.प्र.) माप 100.65 वर्ग मीटर, बही नं. 1, जिल्द नं. 7480, पेज 157-178, क्रंमाक नं. 16894, दिनांक 08.12.2015 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद। **सह-ऋणीः** श्रीमती सरस्वती पत्नी अनिल कुमार। श्री सुनील पाल पुत्र श्री फूल सिंह पाल **(गारन्टर)।**	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भरत सिंह, स्थित ग्राम तातरपुर लालू, नजीबाबाद बिजनौर (उ.प्र.) माप 100.65 वर्ग मीटर, बही नं. 1, जिल्द नं. 7480, पेज 157-178, क्रंमाक नं. 16894, दिनांक 08.12.2015 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद। सीमाएँ:- उत्तर- गिरीराज जी का मकान, दक्षिण- 12 फीट चौड़ी रोड, पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम- विक्रेता का प्लॉट।	(ए) 02.01.2020 (बी) रू0 **22,69,228.00** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 30.12.2025 (सी) भौतिक	रू0 13,63,000/- रू0 1,36,300/- रू0 25,000/-	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः इस्माइलपुर, बिजनौर** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री अकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद, **गारन्टरः** श्रीमती शाहना परवीन पत्नी श्री अकील अहमद।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्री अकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद, स्थित नई आबादी क्षेत्र, निकट उत्तरी रेलवे फाटक, चाँदपुर, जिला- बिजनौर, (उ0प्र0), कुल क्षेत्र- 50.00 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 7171, पेज नं0 253 से 270, क्र0सं0 4646, दिनांक 24.03.2015, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- चाँदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्वः इकबाल की अराजी, पश्चिमः 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः राबिया की आराजी, दक्षिणः अतीक अहमद की आराजी।	(ए) 04.06.2021 (बी) रू0 16,44,676.38 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2021 (सी) भौतिक	रू0 5,95,000/- रू0 59,500/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः चांदपुर** **ऋणीः** श्री अकील अहमद पुत्र श्री खलील अहमद एवं श्रीमती शाहना परवीन पत्नी श्री अकील अहमद **(ऋणी/बंधककर्ता)**। श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बाबूराम शर्मा **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्वामी श्रीमती शाहना परवीन पत्नी श्री अकील अहमद, स्थित नई आबादी क्षेत्र निकट सागर कोल्ड स्टोर चांदपुर, जिला- बिजनौर, (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 66.89 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 6897, पेज नं0 225 से 246, क्र0सं0 13540, दिनांक 12.09.2014, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- चांदपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँ:- पूर्वः मुकीर का खेत, पश्चिमः मुकीर का खेत, उत्तरः 13 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः मुकीर का खेत।	(ए) 16.02.2022 (बी) रू0 12,55,848.00 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.02.2022 (सी) भौतिक	रू0 16,74,000/- रू0 1,67,400/- रू0 1,00,000/-	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉम **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिंत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री अभिनव कुमार, मो0 नं0 98731 00792** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)– 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वींति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई–नीलामी के नियम और शर्तें, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (व्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं